प्रतिलिपि पत्र संख्या–सम्ब0 165/सत्तर–6–2012–2(94)/2012 दिनांक 04अगस्त, 2012 द्वारा अनुसचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–6, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ सम्बोधित कुलसचिव, छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर ।

-98-

आपके पत्रांक सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब./1146/2012, दिनांक 05.6.2012 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निर्देश हुआ है कि राज्य सरकार ने उ0प्र0राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 (यथा संशोधित उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय संशोधन अध्यादेश, 2007) की धारा–37(2) के परन्तुक के अधीन ब्रहमदेव महाविद्यालय, जरांव, हण्डिया, इलाहाबाद को स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, संस्कृत, प्राचीन इतिहास, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र एवं राजनीतिशास्त्र विषयों में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक 01.07.2012 से आगामी तीन वर्षों हेतु सम्बद्धता की पूर्वानुमति प्रदान कर दी है:–

1. महाविद्यालय निरीक्षण आख्या एवं प्रपत्र बी में इंगित समस्त कमियों को पूर्ण कर लेगा अन्यथा अगले शैक्षणिक वर्ष में छात्रों का प्रवेश प्रतिबन्धित रहेगा ।
2. महाविद्यालय द्वारा प्राचार्य एवं प्राध्यापकों की नियमानुसार नियुक्ति कर उन पर विश्वविद्यालय का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा ।
3. संस्था शासनादेश संख्या–2851/सत्तर–2–2003–16(92)/2002, दिनांक 2 जुलाई 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिशा–निर्देशों एवं समय–समय पर इस विषय में निर्गत अन्य सुसंगत शासनादेशों का पालन करेगी ।
4. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली/अधिनियम में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ0प्र0 राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्राविधानों के अंतर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिये जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी ।

(2) महाविद्यालय उपरोक्त समस्त कमियां आगामी एक माह में पूर्ण कर लेगा ।

<u>छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर</u>

सी0एस0जे0एम0वि0वि0/सम्ब0/ 2458/2011 दिनांक 5/9/12

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यावाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्धक, ब्रहमदेव महाविद्यालय, जरांव, हण्डिया, इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित है कि शासन के सम्बद्धता आदेश में वर्णित निर्देशों का अनुपालन समयावधि के अन्दर पूर्ण करना सुनिश्चित करें । माननीय कुलपति जी के आदेशानुसार स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत 07 सेक्शन (प्रत्येक सेक्शन 60छात्र) कुल 420 सीट्स निर्धारित की जाती हैं। विश्वविद्यालय द्वारा अनुमोदित प्राचार्य, शिक्षकों का अनुमोदन पत्र, नियुक्ति पत्र, ज्वाइनिंग पत्र एवं अनुबन्ध पत्र(छायाचित्र सहित) तथा प्रबन्धक का शपथ पत्र (छायाचित्र सहित) विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराया जाना एवं शासन के सम्बद्धता पत्र में इंगित कमियों की पूर्ति समय–सीमा के अन्दर कराया जाना सुनिश्चित करें । अन्यथा की स्थिति में प्रदत्त सम्बद्धता की अनुज्ञा वापस लिए जाने हेतु नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी ।

   उक्त के साथ महाविद्यालय का वेबसाइट, ई–मेल, फोन नं0 आदि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
2. सहायक कुलसचिव(परीक्षा) सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
3. सहायक कुल सचिव (अतिगोपनीय), सी0एस0जे0एम0वि0वि0, कानपुर ।
4. सिस्टम मैनेजर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।
5. इंचार्ज, ई0डी0पी0सेन्टर, सी0एस0जे0एम0विश्वविद्यालय, कानपुर ।

(सय्यद वकार हुसैन)
कुलसचिव

प्रबन्धक
ब्रम्हदेव महाविद्यालय
जरांव हण्डिया–इलाहाबाद